

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव
// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

विषय :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के सफल क्रियान्वयन हेतु आपके जिला क्षेत्र के खैरागढ वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत छुईखदान, खैरागढ, डोगरगढ ब्लॉक एवं राजनांदगांव वन मंडल क्षेत्रान्तर्गत अं.चौकी, छुरिया, एवं मोहला ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित राजस्व वन भूमि **0.764** हेक्टेयर का अनापत्ति प्रमाण पत्र "CEO छत्तीसगढ इंफो टेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर " के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध ।

—000—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर भवन सिविल लाईन रायपुर (छ.ग.) द्वारा "भारत नेट प्रोजेक्टर के तहत राजनांदगांव जिले के खैरागढ वनमंडल क्षेत्रान्तर्गत छुईखदान, खैरागढ, डोगरगढ ब्लॉक एवं राजनांदगांव वन मंडल क्षेत्रान्तर्गत अं.चौकी, छुरिया, एवं मोहला ब्लॉक में शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर राजस्व वनभूमि पर आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वन भूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है :-

राजस्व वन भूमि (छोटे झाड/बड़े झाड के जंगल)

स.क.	तहसील	ग्राम	कक्ष क. /खसरा नंबर	प्रभावित क्षेत्र की रकबा (हे.)	मद (छोट/बड़े झाड के जंगल)	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7
1	डोगरगढ	मडियान	281/2	0.012	बड़े झाड का जंगल	
2	—”—	—”—	332/1	0.005	बड़े झाड का जंगल	
3	—”—	फत्तेगंज	61	0.001	झुडपी झाड का जंगल व घांस	
4	—”—	बागरेकसा	413	0.001	छोटे झाड का जंगल	
5	—”—	बासपहाड	7	0.002	बड़े झाड का जंगल	
6	—”—	पनियाजोब	343/1	0.005	बड़े झाड का जंगल	
7	—”—	—”—	329	0.004	छोटे झाड का जंगल	
8	—”—	—”—	260	0.008	बड़े झाड का जंगल	
9	—”—	—”—	358/1	0.001	बड़े झाड का जंगल	
10	—”—	—”—	339/1	0.013	छोटे झाड का जंगल	
11	—”—	बरनाराकला	484	0.001	बड़े झाड का जंगल	
12	—”—	—”—	203	0.004	छोटे झाड का जंगल	

13	--	--	469	0.006	बड़े झाड़ का जंगल	
14	--	--	516	0.007	छोटे झाड़ का जंगल	
15	--	--	616	0.011	छोटे झाड़ का जंगल	
16	--	--	601	0.008	छोटे झाड़ का जंगल	
17	--	--	624	0.007	बड़े झाड़ का जंगल	
18	--	चिदो	331	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
19	--	--	559	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
20	खैरागढ़	विक्रमपुर	92	0.006	छोटे झाड़ का जंगल	
21	--	--	94	0.007	छोटे झाड़ का जंगल	
22	--	--	114	0.003	छोटे झाड़ का जंगल	
23	--	--	88	0.008	छोटे झाड़ का जंगल	
24	छुईखदान	गातापार	47	0.018	बड़े झाड़ का जंगल	
25	--	भोथली	350	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
26	--	--	353	0.011	बड़े झाड़ का जंगल	
27	--	--	355	0.007	बड़े झाड़ का जंगल	
28	--	बकरकट्टा	171	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
29	--	--	141	0.004	बड़े झाड़ का जंगल	
30	--	कुम्हरवाडा	94	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
31	--	गेरुखदान	118	0.005	बड़े झाड़ का जंगल	
32	--	--	63	0.002	छोटे झाड़ के जंगल	
33	--	--	28	0.018	बड़े झाड़ का जंगल	
34	--	--	90	0.006	बड़े झाड़ का जंगल	
35	--	--	94	0.006	बड़े झाड़ का जंगल	
36	--	--	91	0.013	छोटे झाड़ का जंगल	
37	--	सरोधी	15	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
38	--	--	17	0.008	बड़े झाड़ का जंगल	
39	--	गोलरडीह	97	0.006	छोटे झाड़ के जंगल	
40	--	--	98/1	0.029	छोटे झाड़ के जंगल	
41	--	--	14	0.018	छोटे झाड़ के जंगल	
खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत प्रभावित राजस्व वनभूमि का योग:-			41	0.278		
42	अम्बागढ़ चौकी	जंतरगुड़ा	83	0.013	छोटे झाड़ का जंगल व घांस	
43	--	कुदुरघोडा	96/2	0.006	छोटे झाड़ का जंगल व घांस	
44	--	--	96/2	0.006	छोटे झाड़ का जंगल व घांस	
45	--	नेतामटोला	95	0.004	बड़े झाड़ का जंगल	

46	छुरिया	सडक बजारी	3	0.006	छोटे झाड का जंगल	
47	—"	खोभा	71/1	0.006	छोटे झाड का जंगल	
48	—"	—"	198	0.003	छोटे झाड का जंगल	
49	—"	—"	214/1	0.014	छोटे झाड का जंगल व घांस	
50	—"	लालूटोला	42	0.006	छोटे झाड का जंगल व घांस	
51	—"	—"	51	0.006	छोटे झाड का जंगल व घांस	
52	—"	—"	119	0.001	छोटे झाड का जंगल व घांस	
53	—"	—"	375	0.057	छोटे झाड का जंगल व घांस	
54	—"	—"	375	0.051	छोटे झाड का जंगल व घांस	
55	—"	भण्डारपुर	197/1	0.016	छोटे झाड का जंगल	
56	—"	बुचाटोला	113	0.004	बडे झाड का जंगल	
57	—"	—"	116/1	0.003	बडे झाड का जंगल	
58	—"	गेरुघाट	177	0.001	छोटे झाड का जंगल	
59	—"	—"	178	0.001	छोटे झाड का जंगल	
60	—"	—"	38/3	0.007	छोटे झाड का जंगल	
61	—"	—"	126/1	0.002	छोटे झाड का जंगल	
62	—"	—"	240/1	0.004	छोटे झाड का जंगल	
63	—"	लाममेटा	227	0.027	छोटे झाड का जंगल	
64	—"	—"	230	0.005	छोटे झाड का जंगल	
65	—"	केशोटोला	121/1	0.009	छोटे झाड का जंगल	
66	—"	—"	50/1	0.001	छोटे झाड का जंगल	
67	—"	—"	122	0.002	छोटे झाड का जंगल	
68	—"	—"	171	0.002	छोटे झाड का जंगल	
69	—"	नांदियाखुर्द	73	0.01	बडे झाड का जंगल	
70	—"	—"	75	0.004	छोटे झाड का जंगल	
71	—"	दामाबजारी	30-Jan	0.013	छोटे झाड का जंगल	
72	—"	—"	90	0.001	छोटे झाड का जंगल चरोखर, रास्ता	
73	—"	पाण्डुका	99	0.002	छोटे झाड का जंगल	
74	—"	—"	168/1	0.028	छोटे झाड का जंगल	
75	—"	करमरी	107/1	0.006	छोटे झाड का जंगल व घांस	
76	—"	—"	289/1	0	छोटे झाड का जंगल व घांस	
77	—"	—"	311	0.006	छोटे झाड का जंगल व घांस	
78	—"	—"	355	0.001	छोटे झाड का जंगल व घांस	
79	—"	—"	289/1	0.012	छोटे झाड का जंगल व घांस	

80	—''—	—''—	304	0.011	छोटे झाड़ का जंगल व घांस	
81	—''—	—''—	304	0.003	छोटे झाड़ का जंगल व घांस	
82	—''—	गोडलवाही	307	0.015	छोटे झाड़ का जंगल	
83	—''—	—''—	472	0.012	छोटे झाड़ का जंगल	
84	—''—	मासूलकसा	120	0.018	छोटे झाड़ का जंगल	
85	मोहला	मरकाटोला	165/1	0.004	छोटे झाड़ का जंगल	
86	—''—	भोजटोला	55/21	0.013	छोटे झाड़ का जंगल व घांस	
87	—''—	—''—	99	0.003	छोटे झाड़ का जंगल	
88	—''—	कुम्हली	124/1	0.023	छोटे झाड़ का जंगल	
89	—''—	—''—	574	0.006	छोटे झाड़ का जंगल	
90	—''—	—''—	575/1	0.021	छोटे झाड़ का जंगल	
91	—''—	—''—	576	0.01	छोटे झाड़ का जंगल	
92	—''—	—''—	645/2	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत प्रभावित राजस्व वनभूमि का योग:-			51	0.486		
जिले का योग :-			92	0.764		

चुंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है जो राजस्व वन भूमि में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास, को प्रभावित नहीं की जाती तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

(जयप्रकाश मौर्य)

कलेक्टर,
राजनांदगांव

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव
// झापन //

क्रमांक/102/भू.अ./रा.नि.व.लो./ 2020
प्रति,

राजनांदगांव दिनांक 07/01/2020

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन,
सिविल लाईन रायपुर छ.ग.

विषय :-

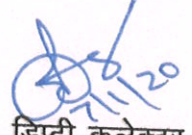
भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के सफल क्रियान्वयन हेतु आपके जिला क्षेत्र के खैरागढ वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत छुईखदान, खैरागढ, डोगरगढ ब्लॉक एवं राजनांदगांव वन मंडल क्षेत्रान्तर्गत अं.चौकी, छुरिया, एवं मोहला ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित राजस्व वन भूमि 0.764 हेक्टेयर का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रभावित वनभूमि 17.441 हेक्टेयर कुल 18.205 हेक्टेयर भूमि का FORM-1 (FOR LINEAR PROJECT) "CEO छत्तीसगढ इंफो टेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर " के नाम से प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक 2705 एवं 2698/मु.का.अ./चिप्स/2019 रायपुर दिनांक 19.11.2019।

—0—

संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। खैरागढ वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत छुईखदान, खैरागढ, डोगरगढ ब्लॉक एवं राजनांदगांव वन मंडल क्षेत्रान्तर्गत अं.चौकी, छुरिया, एवं मोहला ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित राजस्व वन भूमि 0.764 हेक्टेयर का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रभावित वनभूमि 17.441 हेक्टेयर कुल 18.205 हेक्टेयर भूमि का FORM-1 (FOR LINEAR PROJECT) आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।


डिप्टी कलेक्टर,
वास्ते-कलेक्टर राजनांदगांव

FORM-1
(For Linear Project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District collector, Rajnandgaon

No: - 190

Date: 07/01/2020

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliances of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that **18.205 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) Raipur, C.G.** (name of the user agency) for laying Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (Purpose for diversion of forest land) in **Khairagarh Forest Division and Rajnandgaon Forest Division** falls within jurisdiction of **Rajnandgaon District** i.e Chhuikhadan, Khairagarh, Dongargarh Ambagarh, Chhuriya, and Mohla Block.

It is further certified that:

- (d) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire **18.205 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (**Not Applicable**)
- (e) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it; (**Not Applicable**)
- (f) The proposal does not involve recognized rights of Primitives Tribal groups and Pre-agricultural communities. As the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase- II (A Part of Digital India).



Collector
District- Rajnandgaon
(Chhattisgarh)